संख्या-130/2024/।/738732/2024-71-1001(099)/9/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 12 सितम्बर, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रथम चरण के अन्तर्गत अति आवश्यक प्राथमिकता से विद्युत सुरक्षा से संबंधित कार्यो हेतु अवशेष/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2024-25/128, दिनाँक 25.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-72 राजकीय मेडिकल कालेजों एंव संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हेतु मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित बजट के सापेक्ष वार्षिक कार्य-योजना उपलब्ध कराते हुए राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रथम चरण के अन्तर्गत अति आवश्यक प्राथमिकता से विद्युत सुरक्षा से संबंधित कार्य हेतु परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 333.17 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव सम्मिलित है।

2- उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रथम चरण के अन्तर्गत अति आवश्यक प्राथमिकता से विद्युत सुरक्षा से संबंधित कार्यो हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 1332.69 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-93/2021/।/70264/2021-71/1001(099)/9/2021, दिनांक 12.06.2021 द्वारा अवमुक्त की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-101/2021/।/216669/2022-71/1001(099)/9/2021, दिनांक 22.09.2022 द्वारा रू0 466.35 लाख तथा शासनादेश संख्या-86/2023/।/328985/2023-71/1001(099)/9/2021, दिनांक 08.06.2023 द्वारा रू0 333.1725 लाख, इस प्रकार अब तक कुल रू0 999.5225 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा परियोजना की शेष धनराशि रू0 333.1675 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-72 राजकीय मेडिकल कालेजों एंव संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हेतु मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राविधानित बजट के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रथम चरण के अन्तर्गत अति आवश्यक प्राथमिकता से विद्युत सुरक्षा से संबंधित कार्य हेतु परियोजना की अंतिम किश्त/अवशेष धनराशि **रू0 333.1675 लाख (रू0 तीन करोड़ तैंतीस लाख सोलह हजार सात सौ पचास मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, कम्पलीशन, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एंव भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-93/2021/I/70264/2021-71/1001(099)/9/2021, दिनांक 12.06.2021 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,33,16,750 (रू0 तीन करोड़ तैंतीस लाख सोलह हजार सात सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031057200 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/तद्यदिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।